परिपत्र संख्या-02/2014

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर-भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ-7(39)जन/2013/पार्ट-I/3615 दिनांक : 5/2/14

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-57 में तृतीय परन्तुक में निम्नलिखित प्रावधान किया हुआ है :-

Provided further that the Insperctor General, Registration & Stamps Department may prescribe a proforma for specific mention of any information and such a Performa, duly filled in, shall always be deemed to be a part of the document.

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा चैकलिस्ट के प्रारूप का निर्धारण किया हुआ है। इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी कर उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के साथ, दस्तावेज के समस्त विवरण चैकलिस्ट में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट एवं पठनीय रूप में भरवाकर लिये जाने के निर्देश दिये गये है। पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 में प्रकाशित परिपत्र संख्या 9/09 में भी चैकलिस्ट के प्रारूप सहित आवश्यक निर्देश दिये हुए है।

विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि उप पंजीयकों द्वारा विभाग के उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। कतिपय उप पंजीयक कार्यालयों में तो दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारुप में चैकलिस्ट ही नहीं ली जा रही है एवं कतिपय कार्यालयों में चैकलिस्ट तो ली जा रही है, किन्तु निर्धारित कॉलम में दस्तावेज से संबंधित सूचनाएं स्पष्ट रूप से भरी हुई नहीं पायी गयी है। चैक लिस्ट में दस्तावेज से संबंधित स्पष्ट सूचनाएं नहीं होने से गलत मूल्यांकन की संभावना बनी रहती है।

नियम-57 के उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट जिसमें मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी चैकलिस्ट का भाग है, को दस्तावेज का भाग माना गया है, किन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उप पंजीयकों द्वारा चैकलिस्ट को दस्तावेज का भाग मानकर उसके साथ सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के साथ विभाग द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में वांछित समस्त सूचनाएं सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण रूप से भरवाकर ली जायें तथा दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् चैकलिस्ट एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट को दस्तावेज की कार्यालय प्रति के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जायें। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान अपने निरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान यह सुनिश्चित करें कि, उपरोक्त प्रावधानों की पालना की जा रही है। भविष्य में उपरोक्त प्रावधान/निर्देशों की पालना किया जाना नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(रामखिलाड़ी मीणा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ-7(39)जन/2013/पार्ट-I/3616-4107 दिनांक : 5/2/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।

3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेज), राजस्थान को पालनार्थ।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉंच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर